प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-14.10.2019 जनपद-देवरिया

–:मुनिम की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की गयी लूट/हत्या का सफल अनावरण:–

दिनांक–08.10.2019 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, मृतक की पहचान सुभाष मद्धेशिया पुत्र शिवनाथ मद्धेशिया निवासी–महुवां बजराटार थाना–तरकुलवा जनपद–देवरिया के रूप में हुई थी, मृतक के कमर में 6 लाख रूपये बंधे हुये मिले थे। उक्त घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–809/2019 धारा–302 भादसं का अभियोग पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा विवेचना किया जा रहा था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक–14.10.2019 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एवं प्रभारी स्वाट/सीआईयू/सर्विलांस टीम देवरिया मय हमराही द्वारा रेलवे स्टेशन चौकी पर घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबन्ध में चर्चा कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना एवं निशानदेही पर गोरखपुर ओवर ब्रिज के पास से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा अपना नाम पता **01.अविनाश जायसवाल पुत्र रमाशंकर जायसवाल निवासी–महराजगंज थाना–महराजगंज जनपद–शिवान (बिहार) 02.विपुल सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी–नन्दा नगर थाना–शाहपुर जनपद–गोरखपुर 03.बैजनाथ जायसवाल पुत्र महेश जायसवाल निवासी–तमकुही रोड वार्ड नं0–4 थाना–सेवरही जनपद–कुशीनगर** बताया गया। पकड़े गये अभियुक्तों में विपुल सिंह के पास से 01 अदद पिस्टल व 03 अदद जिंदा कारतूस, 40,000रू0, अभियुक्त अविनाश के पास से 01 अदद देशी तमंचा 01 अदद जिंदा कारतूस, 25,000रू0 तथा हत्या में प्रयुक्त मोटरसाईकिल यूपी52एवाई7802, अभियुक्त बैजनाथ के पास से 45,000रू0 बरामद किया गया। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछ–ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मृतक सुभाष गेंहूँ खरीदने एवं बेचने का कार्य मिथिला फ्लोर मील दरभंगा बिहार से करता था तथा बैजनाथ श्रीराम ट्रेडर्स फाजिलनगर कुशीनगर भी उक्त फ्लोर मील के साथ कार्य करता था। दिनांक–06.10.2019 को मृतक एवं अभियुक्त बैजनाथ एक साथ दरभंगा फ्लोर मिल से अपना–अपना रूपया वापस लेने साथ गये। दिनांक–07.10.2019 को अभियुक्त बैजनाथ द्वारा रमाशंकर जायसवाल देवरिया को बताया गया कि मृतक उसके साथ 9 लाख 70 हजार रूपये लेकर देवरिया आ रहा है। रमाशंकर द्वारा अपने पुत्र अविनाश जायसवाल को उपरोक्त बात बताया गया जिसके द्वारा अपने साथियों अनिकेत, संजय पासवान एवं विपुल को गोरखपुर से दिनांक–07.10.2019 को बुला लिया गया। दिनांक–08.10.2019 को ही देवरिया स्टेशन के पास अभियुक्त बैजनाथ की शिनाख्त पर अविनाश जायसवाल, विपुल सिंह, संजय पासवान एवं अनिकेत द्वारा मृतक का माल गोदाम रेलवे स्टेशन रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास मृतक का बैग छीन लिया गया। मृतक द्वारा यह बताने पर कि वह उन्हें पहचान रहा है, उसे गोली मार दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद 1 लाख 10 हजार रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल तथा 03 अदद जिंदा कारतूस, एक अदद देशी तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा–394,120बी,411 भादसं बढ़ोत्तरी करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों व बरामदगी का विवरण:–

01.अविनाश जायसवाल पुत्र रमाशंकर जायसवाल निवासी–महराजगंज थाना–महराजगंज जनपद–शिवान (बिहार)
बरामदगी–01 अदद देशी तमंचा, 01 अदद जिंदा कारतूस, हत्या में प्रयुक्त मोटरसाईकिल, 25 हजार रूपये।

02.विपुल सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी–नन्दा नगर थाना–शाहपुर जनपद–गोरखपुर
बरामदगी–हत्या में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल, 03 अदद जिंदा कारतूस, 40 हजार रूपये।

03.बैजनाथ जायसवाल पुत्र महेश जायसवाल निवासी–तमकुही रोड वार्ड नं0–4 थाना–सेवरही जनपद–कुशीनगर
बरामदगी– 45 हजार रूपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:–

01.प्रभारी निरीक्षक अरूण कोतवाली देवरिया,
02.उ0नि0 अनिल प्रभारी सीआईयू टीम,
03.उ0नि0 संतोष प्रभारी स्वाट टीम,
04.उ0नि0 रामगोपाल प्रभारी सर्विलांस टीम,
05.उ0नि0 मनोज थाना कोतवाली देवरिया,
06.मु0आ0 योगेन्द्र स्वाट टीम,
07.कां0 सुदामा स्वाट टीम
08.कां0 धनन्जय स्वाट टीम
09.कां0 मेराज स्वाट टीम
10.कां0 अरूण सीआईयू टीम
11.कां0 संतोष सीआईयू टीम,
12.कां0 प्रशान्त सीआईयू टीम
13.कां0 राहुल सर्विलांस टीम
14.कां0 सुधिर सर्विलांस टीम
15.कां0 मनोज कोतवाली देवरिया,
16.कां0 वर्मा कोतवाली देवरिया,
17.कां0 पवन कोतवाली देवरिया,
18.म0कां0 सम्भा कोतवाली देवरिया,
19.म0कां0 पूजा कोतवाली देवरिया,